प्रेषक

कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

(1) **निदेशक,**
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) **समस्त विभागाध्यक्षगण,**
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(3) **विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य,**
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(4) **डॉ० संजीव गुप्ता**
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(5) **श्री आशीष कुमार गुप्ता**
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, दृष्टिबाधितार्थ विभाग,
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांक- 1737/पत्रा.सं0–568(द्वितीय)/डा.श.मि.रा.पु.वि./वि0परि0/2024–25 दिनांकः 18 दिसम्बर, 2024

विषयः– डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 विद्या–परिषद की 34वीं बैठक दिनांकः 22 नवम्बर, 2024 की बैठक का कार्यवृत्त प्रेषण के संबंध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 विद्या–परिषद की 34वीं बैठक दिनांकः 22 नवम्बर, 2024 को लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

की मा0 विद्या परिषद् की

34वीं बैठक दिनाँकः 22 नवम्बर 2024 को आहूत बैठक

का कार्यवृत्त

समय–	अपराह्न : 03:30 बजे
स्थान–	प्रशासनिक भवन, पंचम तल स्थित सभागार, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की मा0 विद्या परिषद् की 34वीं बैठक विश्वविद्यालय के पंचम तल पर स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र0 सं0	विषय
1/34	**मा0 विद्या परिषद की 33वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।**
	विश्वविद्यालय की मा0 विद्या परिषद् की 33वीं बैठक दिनांकः 11 सितम्बर, 2024 के निर्गत कार्यवृत्त पत्रांकः 1133/पत्रा0सं0–568(द्वितीय)/डॉ0श0मि0रा0पु0वि0/वि0परि0/2024–25, दिनांक 11 सितम्बर, 2024 की पुष्टि वांछित है। **निर्णयः– मा0 विद्या परिषद् की 33वीं बैठक दिनांकः 11 सितम्बर, 2024 के कार्यवृत्त पत्रांकः 1133/पत्रा0सं0–568(द्वितीय)/डॉ0श0मि0रा0पु0वि0/वि0परि0/2024–25, दिनांक 11 सितम्बर, 2024 की पुष्टि की गई।**
2/34	**मा0 विद्या परिषद् की 31वीं बैठक दिनांक 11 जून, 2024, 32वीं बैठक दिनांक 30 जुलाई, 2024 एवं 33वीं बैठक दिनांक 11 सितम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– मा0 विद्या परिषद् की 31वीं बैठक दिनांक 11 जून, 2024, 32वीं बैठक दिनांक 30 जुलाई, 2024 एवं 33वीं बैठक दिनांक 11 सितम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन आख्या से मा0 विद्या परिषद अवगत हुई।
3/34	**विश्वविद्यालय के रिसर्च एवं डवलपमेन्ट की गाइडलाइन के सम्बन्ध में।**
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2022 को निर्गत गाइडलाइन के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुसार शोध की गुणवत्ता का विस्तार, नवाचार को बढ़ावा देने, शैक्षणिक परिवेश में रिसर्च को बढ़ावा देने, तकनीकी विकास करने तथा शोध नवाचार एवं तकनीकी का एकीकरण करने एवं शोध के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में प्रो0 अश्वनी कुमार दुबे, आचार्य, राजनीतिशास्त्र को निदेशक, Research & Development Cell नामित किया गया है। तत्क्रम में विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार गुणवत्ता परक शोध हेतु रिसर्च प्रोजेक्ट/कन्सलटेन्सी गाईडलाइन्स – 2024 **(परिशिष्ट–01)** तैयार कर विचारार्थ/अनुमोदनार्थ मा0 विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है। **Decision- After due consideration on the submitted "Guidelines for Research Project/ Consultancy – 2024", it was approved. Any minor corrections, if deem necessary at later stage, can be incorporated with the approval of Honorable Vice Chancellor.** **निर्णयः– मा0 विद्या परिषद् की आहूत बैठक में प्रस्तुत उपरोक्त Guidelines for Research Project/ Consultancy – 2024" पर सम्यक विचार–विमर्श करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया। यदि बाद में कोई लघु संशोधन आवश्यक समझा जाता है तो माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से इसे समाहित कर लिया जाएगा।**

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

SCAN AnyScanner

4/34	भेषज विज्ञान संस्थान एवं अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान को संकाय के रूप में मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में।

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008 में की गयी। इस विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य एक बाधारहित वातावरण में समेकित शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के द्वारा निःशक्तजनों का सशक्तिकरण कर उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में जोड़ना है। वर्तमान में कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, विशेष शिक्षा संकाय, भाषा संकाय, पैरामेडिकल रिहेबिलिटेशन साइंसेज संकाय, विधि संकाय, ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय तथा विज्ञान संकाय अर्थात कुल 08 संकायो के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के माध्यम से विश्वविद्यालय अपने अभीष्ट लक्ष्य की सिद्धि में निरन्तर कटिबद्ध है।

उपरोक्त के क्रम में समेकित शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास हेतु विश्वविद्यालय में भेषज विज्ञान संस्थान स्थापित करते हुए रोजगारपरकता एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ानें तथा राष्ट्रीय विकास में योगदान के दृष्टिगत भिन्न रूपेण समर्थ विद्यार्थियों एवं अन्य विद्याार्थियों के हितार्थ भेषज विज्ञान संस्थान की स्थापना दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–आई0 298957/65–3099/742/2019 दिनांक 6 अप्रैल 2023 द्वारा प्रदत्त अनापत्ति के क्रम में वर्ष 2023 में की जा चुकी है। भेषज विज्ञान संस्थान के अधीन वर्तमान में डी0फार्म एवं बी0फार्म पाठ्यक्रम संचालित है। उल्लेखनीय है कि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना मा0 विद्या परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 03.10.2015 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 3.3 पर प्रदत्त अनुमोदन एवं मा0 कार्य परिषद की सोलहवीं बैठक दिनांक 20.08.2016 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 16.6 पर प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में वर्ष 2016 में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के ही रूप में की गई थी। अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के अधीन विभिन्न विधाओं में बी0टेक एवं एम0टेक पाठ्यक्रम संचालित है। विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियमावली के परिधि में उपरोक्त संस्थानो को अधिशारित करने के दृष्टिगत उक्त संस्थानों को विश्वविद्यालय के संकाय के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु प्रस्ताव निम्नवत है–

S. No.	Present Name of Institute	Year of Establishment	Proposed recognition henceforth
1	Institute of Pharmacy	2023	Faculty of Pharmaceutical Sciences
2	Institute of Engineering & Technology	2016 (Initially established as Faculty of Engineering & Technology)	Faculty of Engineering & Technology

उपरोक्त पर मा0 विद्या परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

Decision- After due consideration, it was resolved that "Institute of Pharmacy" shall henceforth be also recognized as "Faculty of Pharmaceutical Sciences" and "Institute of Engineering & Technology" shall henceforth be also recognized as "Faculty of Engineering & Technology" and consequently there shall henceforth be total 10 (Ten) Faculty in this University listed as below:

1. **Faculty of Languages**
2. **Faculty of Arts, Humanities & Social Sciences**
3. **Faculty of Law**
4. **Faculty of Science**
5. **Faculty of Commerce**
6. **Faculty of Fine Arts & Performing Arts**
7. **Faculty of Para - Medical Rehabilitation Sciences**
8. **Faculty of Special Education**
9. **Faculty of Pharmaceutical Sciences**
10. **Faculty of Engineering & Technology**

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

AnyScanner

	निर्णयः– मा0 विद्या परिषद् की आहूत बैठक में सदस्यों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचार–विमर्श करते हुए यह निर्णय लिया गया कि "भेषज विज्ञान संस्थान" अब से "भेषज विज्ञान संकाय" के रूप में भी मान्य होगा एवं "अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान" अब से "अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय" के रूप में भी मान्य होगा और परिणामतः इस विश्वविद्यालय में अब से कुल 10 (दस) संकाय होंगे जो निम्नवत् हैं– 1. भाषा संकाय 2. कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय 3. विधि संकाय 4. विज्ञान संकाय 5. वाणिज्य संकाय 6. ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय 7. पैरामेडिकल रिहेबिलिटेशन सांइसेज संकाय 8. विशेष शिक्षा संकाय 9. भेषज विज्ञान संकाय 10. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय
5/34	**विश्वविद्यालय के 'लोगो' की रचना कराने की प्रतियोगिता आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में।**
	मा0 विद्या परिषद के सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के **'लोगो'** की रचना कराने हेतु विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद् की 7वीं बैठक के बिन्दु सं0–12/07 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:– *"डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ हेतु प्रस्तुत **'लोगो'** (Logo) का अवलोकन करते हुए मा0 अध्यक्ष, सामान्य परिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय सृजनात्मक लोगो विकसित किये जाने के उद्देश्य से एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन करते हुए विश्वविद्यालय हेतु सर्वश्रेष्ठ लोगो का चयन किया जाय।"* उक्त निर्देश के अनुपालन में विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग द्वारा अपने स्तर से एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, परन्तु उक्त प्रतियोगिता में यथोचित विश्वविद्यालय के अनुरूप **'लोगो'** का चयन नहीं हो पाया। विश्वविद्यालय हेतु **'लोगो'** की रचना कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय में पुनः एक खुली प्रतियोगिता आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु तिथि, समय एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना प्रार्थित है। **<u>Decision-</u> Academic Council was apprised with the earlier decision pertaining to the design of "Logo" taken by General Council at agenda point no 12/7 of its 7th meeting held on 16 September 2021 and its was resolved that the Honorable Vice Chancellor is authorized by Academic Council to form a Committee for organizing an open competition for designing "Logo" in which the winners shall be given first and second prize.** **<u>निर्णयः</u>– मा0 विद्या परिषद विश्वविद्यालय का 'लोगो' की रचना कराये जाने पर पूर्व में मा0 सामान्य परिषद की 7वीं बैठक दिनांक 16 सितम्बर 2021 के एजेण्डा बिन्दु सं0–12/7 पर लिये गये निर्णय से संज्ञानित होते हुए 'लोगो' के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन हेतु समिति गठित करने के सम्बन्ध में माननीय कुलपति, विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार भी दिये जाने हेतु मा0 विद्या परिषद द्वारा निर्णय लिया गया।**
6/34	**सेमिनार/सिम्पोज़ियम/कॉन्फ्रेन्स की गाइडलाइन के सम्बन्ध में।**
	देश–विदेश के विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में समय–समय पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशालाओं के आयोजन व उनमें भाग लिये जाने हेतु दिशानिर्देश एवं विद्यार्थियों तथा पूर्णकालिक पीएच0डी0 शोधार्थियों को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पेपर प्रस्तुत करने हेतु दिशा निर्देश **(परिशिष्ट–01)** पर अनुमोदन प्रदान किया जाना है।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

कृपया देश–विदेश के विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशालाओं के आयोजन व उनमें भाग लिये जाने हेतु निर्मित दिशानिर्देश का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रार्थित है।

Decision- (A). (i) After deliberations on "Guidelines for Organizing/Attending National /International Conferences/Seminars/Symposium/Workshops", it was suggested that in this guideline at page no. 3, point no. 3.12-2 (ii) "For International" to be replaced by "For International (to be held in abroad)" and at page no. 6 under the heading "Travel Grant to Foreign Invitees" the sentence part 'Delhi to Lucknow only' be replaced by 'From nearest Indian cities having International Airport to Lucknow'.

Incorporating these suggestions, the "Guidelines for Organizing/Attending National/ International Conferences/Seminars/Symposium/Workshops" was approved.

(ii) In the "Guideline for consideration of grants to student and full-time Ph.D. scholar for presentation of paper in International Conferences", it was suggested that the title shall be read as "Guideline for consideration of grants to full-time Ph.D. scholar for presentation of paper in National/International Conferences/Seminars/Symposia" in place of "Guideline for consideration of grants to student and full-time Ph.D. scholar for presentation of paper in International Conferences" and at page no. 2, point no. 6.2 "Rs. 25000" be replaced by "Rs. 20000".

Incorporating these suggestions, the "Guideline for consideration of grants to full-time Ph.D. scholar for presentation of paper in National/International Conferences/Seminars/Symposia" to be held in the country and abroad was approved.

(B). After deliberations, it was resolved that the Honorable Vice chancellor shall be paid actual charges (total cost/expenses) from the University for attending National/International Conferences/ Seminars /Symposia/Workshop/Training to be held in the country and abroad.

निर्णयः–(अ) (i) उपरोक्त पर सम्यक विचारोपरान्त यह सुझाव दिया गया कि **"Guidelines for Organizing /Attending National/International Conferences/Seminars/Symposium/Workshops"** में पृष्ठ सं0 3 के बिन्दु क्रमांक **3.12-2 (ii) "For International"** के स्थान पर **"For International (to be held in abroad)"** प्रतिस्थापित किया जाए एवं पृष्ठ सं0 6 के शीर्षक **"Travel Grant to Foreign Invitees"** के वाक्य में **'Delhi to Lucknow'** के स्थान पर **'From nearest Indian cities having International Airport to Lucknow'.** प्रतिस्थापित किया जाए।

मा0 विद्या परिषद द्वारा दिये गए उपरोक्त सुझावों को समाहित करते हुए **"Guidelines for Organizing/Attending National/International Conferences/Seminars/Symposium/Workshops"** पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ii) "Guideline for consideration of grants to student and full-time Ph.D. scholar for presentation of paper in International Conferences" में यह सुझाव दिया गया कि शीर्षक **"Guideline for consideration of grants to student and full-time Ph.D. scholar for presentation of paper in International Conferences"** के स्थान पर **"Guideline for consideration of grants to full-time Ph.D. scholar for presentation of paper in National/International Conferences/Seminars/Symposia"** तथा पृष्ठ सं0 2 के बिन्दु क्रमांक **6.2 "Rs. 25000"** के स्थान पर **"Rs. 20000"** प्रतिस्थापित किया जाए।

मा0 विद्या परिषद द्वारा दिये गए उपरोक्त सुझावों को समाहित करते हुए देश विदेशों में होने वाले **"Guideline for consideration of grants to full-time Ph.D. scholar for presentation of paper in National/International Conferences/Seminars/Symposia"** पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ब) सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि देश/विदेश मे होने वाले राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षण में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति को प्रतिभाग करने के लिये विश्वविद्यालय से वास्तविक व्यव (कुल खर्च) दिया जायेगा।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

AnyScanner

7/34 **ब्रेल उत्तर–पुस्तिका के लिए ब्रेल वाचक को सूचीबद्ध करते हुए उनके पारिश्रमिक का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय में समय–समय पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों द्वारा ब्रेल लिपि के माध्यम से अपने उत्तर को प्रस्तुत किया जाता है, जिसके दृष्टिगत विश्वविद्यालय के शिक्षकों को ब्रेल लिपि में अंकित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु ब्रेल का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है।

संज्ञानित कराना है कि शासनादेश सं0–176/सत्तर–1–2019–15(32)/81, दिनांक 09 मार्च, 2019 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की 8वीं बैठक के निर्गत कार्यवृत्त दिनांक 29 जनवरी, 2021 के अनुसार परीक्षकों के पारिश्रमिक कार्यों की दरों का निर्धारण किया गया है, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं के मूल्यांकन सम्बन्धित कार्यों के दरों का विवरण निम्नवत् :–

उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन

1.	स्नातकोत्तर (प्रति पुस्तिका)	₹ 25.00
2.	स्नातक (प्रति पुस्तिका)	₹ 20.00

प्रयोगात्मक

1.	स्नातकोत्तर	₹ 25.00 प्रतिछात्र (न्यूनतम् ₹ 900.00)
2.	स्नातक/बी0एड0	₹ 16.00 प्रतिछात्र (न्यूनतम् ₹ 600.00)
3.	पी0एच–डी0 शोध प्रबन्ध मूल्यांकन	₹ 1000.00
4.	शोध मौखिकी पी0एच–डी0	₹ 900.00
5.	लघुशोध मूल्यांकन	₹ 80.00 प्रतिकापी (प्रतिछात्र)

उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन

1.	परास्नातक (10 या 10 से कम उत्तर–पुस्तिकाओं हेतु)	न्यूनतम रू0 250.00
2.	स्नातक	न्यूनतम रू0 200.00
	चुनौती मूल्यांकन (10 या 10 से कम उत्तर–पुस्तिकाओं हेतु)	न्यूनतम रू0 500.00

तद्क्रम में प्रस्ताव है कि विश्वविद्यालय के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की ब्रेल लिपि में अंकित उत्तर पुस्तिकाओं के वाचन हेतु ब्रेल लिपि विशेषज्ञ को सूचीबद्ध/आमंत्रित किया जाना प्रार्थित है साथ ही उनके पारिश्रमिक का निर्धारण उपरोक्तानुसार किया जाना प्रार्थित है।

<u>Decision-</u> After due consideration on the aforesaid proposal, the Honorable Vice Chancellor of the University was authorized by the Academic Council to constitute a 3 – member committee under the chairmanship of Prof. C.K. Dixit (Dean Faculty of Science) for empaneling and deciding the remuneration of Braille readers of the Answer books written in Braille Script of mid semester and end semester examination as well as for deciding the remuneration of the examiners of other Answer books, Ph.D. Thesis and Viva–Voce etc. and it was decided that the committee shall submit its reports & recommendation having examined the various aspects related to the remuneration under consideration within 15 days.

It was also resovled that as interim measure, the Braille Readers should be paid remuneration as defined above for evaluating UG & PG Answer scripts. This will be revised after the acceptance/approval of the recommendation of the committee in the next meeting of the Academic Council after the approval of Finance Committee and Executive Council.

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

AnyScanner

	निर्णयः— उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मिड सेमेस्टर एवं इन्ड सेमेस्टर परीक्षा के ब्रेल लिपि में लिखित उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ब्रेल वाचक को सूचीबद्ध करने एवं उनके पारिश्रमिक निर्धारण तथा अन्य उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पीएच0डी0 थीसिस मूल्यांकन एवं मौखिकी इत्यादि के लिए भी पारिश्रमिक दिये जाने हेतु प्रो0 सी0के0 दीक्षित, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय समिति का गठन किये जाने हेतु माननीय कुलपति विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया तथा समिति को प्रश्नगत पारिश्रमिक निर्धारण हेतु विभिन्न पहलूओं का परीक्षण करते हुए सुसंगत संस्तुति सहित आख्या 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि अंतरिम व्यवस्था के रूप में ब्रेल वाचकों को स्नातक/परास्नातक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिये उपरोक्तानुसार परिभाषित पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा तथा समिति के संस्तुतियों पर मा0 विद्या परिषद की अगली बैठक में अनुमोदनोपरान्त एवं वित्त समिति तथा कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त पारिश्रमिक को संशोधित किया जाएगा।
8/34	**विश्वविद्यालय में D.Ed. (HI) एवं M.Ed. (HI) पाठ्यक्रम की मान्यता के सम्बन्ध में।**
	मा0 विद्या परिषद को संज्ञानित कराया गया कि विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा संकाय के अन्तर्गत श्रवणबाधितार्थ विभाग में संचालित डी.एड.(एच.आई.) एवं एम.एड.(एच.आई.) पाठ्यक्रम की मान्यता भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024–25, 2025–26, 2026–27 एवं 2027–28 हेतु मान्यता प्रदान की गयी है। डॉ0 विजय शंकर शर्मा, सह आचार्य, दृष्टिबाधितार्थ विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में जो विशेष शिक्षा संकाय के अन्तर्गत संचालित कोर्सो की मान्यता भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त बी0एससी0 क्लीनिकल साइक्लॉजी, (आनर्स) पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय में संचालित किया जाना उचित होगा। **Decision-** **Academic Council was apprised with the approval granted by Rehabilitation Council of India, New Delhi for conducting the D.Ed. (HI) and M.Ed. (HI) Programme. Besides it, Academic Council accorded formal approval to conduct B.Sc. Clinical Psychology (Honors) Programme from the academic session 2025-26.** **निर्णयः—मा0 विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में D.Ed. (HI) एवं M.Ed. (HI) पाठ्यक्रम की मान्यता से संज्ञानित होते हुए विश्वविद्यालय में अगामी शैक्षिक सत्र 2025–26 से बी0एससी0 क्लीनिकल साइक्लॉजी, (आनर्स) पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।**
9/34	**विश्वविद्यालय में प्रवेश सेल की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।**
	मा0 विद्या परिषद को संज्ञानित कराया गया कि विश्वविद्यालय में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न कराई जाती है, जिसके उपरान्त प्रवेश प्रक्रिया में प्राप्त होने वाले अभिलेखों को संकलित/संरक्षित करते हुए उन्हें विश्वविद्यालय में सुरक्षित एवं संरक्षित करने हेतु विश्वविद्यालय में एक सेल की आवश्यकता है। तद्क्रम में संज्ञानित कराना है कि प्रत्येक वर्ष होने वाली प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी अभिलेखों को संकलित/संरक्षित करने हेतु निम्नलिखित आधारभूत सुविधाओं की अनिवार्य आवश्यकता होगी :— 1. प्रवेश निदेशक हेतु एक कक्ष। 2. प्रवेश सम्बन्धी एक कार्यालय कक्ष। 3. कार्यालय संचालन हेतु 01 नियमित कार्मिक, 01 कम्प्यूटर आपरेटर एवं 01 चतुर्थ श्रेणी। 4. प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी अभिलेखों को संकलित/संरक्षित करने हेतु स्टोर कक्ष (ओपेन रैक एवं अलमीरा) सहित। 5. 03 कम्प्यूटर सेट सभी सुविधाओं सहित। 6. हैवी ड्यूटी 02 प्रिंटर एवं 01 फोटोकॉपियर। उपरोक्त आधारभूत सुविधाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय में पृथक से प्रवेश सेल का गठन किये जाने पर विचार किया जाना प्रार्थित है।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

AnyScanner

Decision- The Honorable Vice Chancellor was authorized by the Academic Council to constitute a committee for the formation of a separate Admission Cell.

निर्णयः–मा० विद्या परिषद् उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श करते हुए पृथक से प्रवेश सेल का गठन किये जाने हेतु एक समिति का गठन किये जाने पर माननीय कुलपति, विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया।

10/34 **अतिथि व्याख्याता को विश्वविद्यालय में सम्बद्ध किये जाने हेतु चयन समिति का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पठन–पाठन हेतु समय समय पर विभाग के आवश्यकता के अनुसार अतिथि व्याख्याता को सूचीबद्ध/सम्बद्ध किये जाने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर चयन समिति का गठन किया जाना है–

The composition of selection committee shall be as follows:

1. Hon'ble Vice-Chancellor or his/her nominee shall be the chairperson of the selection committee.
2. One expert in the concerned subject nominated by the Vice Chancellor
3. Dean of the concerned faculty.
4. Head of the concerned department.
5. An academician representing SC/ST/OBC/Minority/Women/Differently abled categories to be nominated by the Hon'ble Vice Chancellor, if any of the candidates representing these categories is the applicant and if any of the above members of the selection committee does not belong to that category.

At least Four members, including the outside expert shall constitute the quorum.

उपरोक्त प्रस्ताव पर मा० विद्या परिषद का अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रार्थित है।

<u>Decision-</u> After due consideration on the aforesaid proposal, it was approved.

It was also resolved that the present remuneration of Rs. 30,000/month being paid to the Guest Faculty shall be increased to Rs. 45,000/month subject to the approval of Finance Committee & Executive Council.

<u>निर्णयः–</u> मा० विद्या परिषद् की आहूत बैठक में सदस्यों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचार–विमर्श करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

यह भी निर्णय लिया गया की अतिथि व्याख्याता को वर्तमान में पारिश्रमिक के रूप में दिये जा रहे रू0 30,000 प्रतिमाह को बढ़ाकर रू0 45,000 प्रति माह वित्त समिति एवं कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त कर दिया जायेगा।

11/34 **साइन लैंग्वेज इण्टरप्रेटर को विश्वविद्यालय में सम्बद्ध किये जाने हेतु चयन समिति का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् सामान्य विद्यार्थियों के साथ–साथ श्रवणबाधित विद्यार्थियों के पठन–पाठन हेतु समय समय पर विभाग की आवश्यकतानुसार श्रवणबाधित विद्यार्थियों हेतु साइन लैंग्वेज इण्टरप्रेटर को सूचीबद्ध/सम्बद्ध किये जाने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर चयन समिति का गठन किया जाना है।

The composition of selection committee shall be as follows:

1. Hon'ble Vice-Chancellor or his/her nominee shall be the chairperson of the selection committee.
2. One expert in the concerned field nominated by the Vice Chancellor
3. Dean of the Faculty of Special Education.
4. Head of the Department of Hearing Impairment.
5. An academician representing SC/ST/OBC/Women/ Differently abled categories to be nominated by the Hon'ble Vice Chancellor, if any of the candidates representing these categories is the applicant and if any of the above members of the selection committee does not belong to that category.

At least Four members, including the outside expert shall constitute the quorum.

उपरोक्त प्रस्ताव पर मा० विद्या परिषद का अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रार्थित है।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

Decision- After due consideration on the aforesaid proposal, the desired approval was granted.
It was also resolved that the present remuneration of Rs. 27,000/month being paid to the Sign Language Interpretrator shall be increased to Rs. 40,000/month subject to the approval of Finance Committee & Executive Council.

निर्णयः– मा0 विद्या परिषद् की आहूत बैठक में सदस्यों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचार–विमर्श करते हुए यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।

यह भी निर्णय लिया गया की साइन लैंग्वेज इण्टरप्रेटर को वर्तमान में पारिश्रमिक के रूप में दिये जा रहे रू0 27,000 प्रतिमाह को बढ़ाकर रू0 40,000 प्रति माह वित्त समिति एवं कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त कर दिया जायेगा।

12/34 नई शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप स्नातक कार्यक्रम रेग्यूलेशन–2024 एवं परास्नातक कार्यक्रम रेग्यूलेशन–2024 पर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्नातक कार्यक्रम के सम्बन्ध में दिनांक 31.12.2022 को निर्गत एवं परास्नातक कार्यक्रम के सम्बन्ध में दिनांक 12.06.2024 को पाठ्यक्रम और क्रेडिट रूपरेखा एवं राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता रूपरेखा हेतु दिनांक 20.04.2023 को निर्गत दिशानिर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय के विशेष कार्याधिकारी (शैक्षणिक) एवं अधिष्ठाता (शैक्षणिक) द्वारा Undergraduate (UG) Programme Regulation-2024 (परिशिष्ट–01) एवं Postgraduate (PG) Programme Regulation-2024 (परिशिष्ट–02) तैयार कर लिया गया है, जिसका अवलोकन करते हुए मा0 विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रार्थित है।

Decision- **1. After due deliberation, the submitted Undergraduate (UG) Programme Regulation – 2024 was approved.**

2. After due deliberation on the submitted Postgraduate (PG) Programme Regulation – 2024, the following suggestions were given:

(a) The maximum period to complete PG Programme shall be set to 04 year instead of 03 years under clause 11 (i & ii) of the submitted PG Programme Regulation 2024.

(b) In the final year study of 2-year PG Programme (i.e. in III and IV semester) and in 1-year PG Programme, there shall be coursework of 10 credits and Dissertation/Research Project/Patent of 10 credits or the coursework of 20 credits and the student shall be given option to choose any one of these two and structure of PG Programme shall be set accordingly.

Incorporating the suggestions given by the Academic Council, the Postgraduate (PG) Programme Regulation – 2024 was approved.

निर्णयः–1. सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत स्नातक कार्यक्रम रेग्यूलेशन–2024 पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत परास्नातक कार्यक्रम रेग्यूलेशन–2024 में निम्नवत् सुझाव दिये गए :–

(अ) परास्नातक कार्यक्रम रेग्यूलेशन–2024 के उपबन्ध 11 (i एवं ii) के अधीन परास्नातक कार्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अधिकतम अवधि 03 वर्ष के स्थान पर 04 वर्ष कर दिया जाय।

(ब) द्विवर्षीय परास्नातक कार्यक्रम के अन्तिम अध्ययन वर्ष (तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर) तथा एक वर्षीय परास्नातक कार्यक्रम में 10 क्रेडिट का कोर्सवर्क व 10 क्रेडिट का डिरजर्टेशन/शोध परियोजना/पेटेन्ट होगा या 20 क्रेडिट का केवल कोर्सवर्क होगा एवं विद्यार्थियों को दोनो में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा तथा कार्यक्रम संरचना को तद्नुसार व्यवस्थित किया जाएगा।

मा0 विद्यापरिषद द्वारा दिये गए सुझावों को समाहित करते हुए परास्नातक कार्यक्रम रेग्यूलेशन–2024 पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

SCAN AnyScanner

13/34	संशोधित शैक्षणिक कैलेण्डर पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के पत्रांक–2500/फा0सं0–1677/प्र.प्रक्रिया/शै.अनु/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./2023–24, दिनांक 06 मार्च, 2024 के माध्यम से विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिए एकेडमिक कैलेण्डर तैयार किये जाने हेतु समिति का गठन किया गया, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2024–25 में शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रस्तुत एकेडमिक कैलेण्डर के प्रस्ताव पर मा0 विद्या परिषद् की 31वीं बैठक में विचार करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया था, जिसमें समिति द्वारा आंशिक संशोधन **(परिशिष्ट–01)** किया गया है, जिस पर मा0 विद्या परिषद् से अनुमोदन प्रार्थित है।

Decision- After due consideration on the aforesaid proposal, the following suggestion were given by the Academic Council:

Activities	Schedule
Mid – Semester Test	December 16 – 21, 2024
Winter Vacation	January 01 – 05, 2025
End Semester Examination	January 08 – 20, 2025 (UG & PG Programme)
Commencement of the Classes	January 21, 2025 (UG & PG Programme)
Date for Submission of Examination Forms	April 1 – 15, 2025
End of Classes	April 25, 2025
End Semester Examination	April 27 - May 10, 2025
Last date for Submission of Semester Examination Marks	May 17, 2025
Last date for Declaration of Semester Examination Results	May 25, 2025
To Vacate the Hostel for maintenance, repair etc. (For all the Students)	May 12 – 20, 2025

Incorporating the above suggestions given by the Academic Council, the desired approval was granted.

निर्णयः– सम्यक विचारोपरान्त मा0 विद्या परिषद द्वारा निम्नलिखित सुझाव प्रदान किये गए :–

Activities	Schedule
Mid – Semester Test	December 16 – 21, 2024
Winter Vacation	January 01 – 05, 2025
End Semester Examination	January 08 – 20, 2025 (UG & PG Programme)
Commencement of the Classes	January 21, 2025 (UG & PG Programme)
Date for Submission of Examination Forms	April 1 – 15, 2025
End of Classes	April 25, 2025
End Semester Examination	April 27 - May 10, 2025
Last date for Submission of Semester Examination Marks	May 17, 2025
Last date for Declaration of Semester Examination Results	May 25, 2025
To Vacate the Hostel for maintenance, repair etc. (For all the Students)	May 12 – 20, 2025

मा0 विद्यापरिषद द्वारा प्रदत्त उपरोक्त सुझावों को समाहित करते हुए यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।

14/34	**अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के लिए अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद् से मान्यता के संबंध में।**

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में शैक्षणिक सत्र 2024–25 तक संचालित बी–टेक के 05 पाठ्यक्रमों कमशः ईई, ईसी, सीएसई, सीई एवं एमई की 60–60 सीटों पर प्रवेश हेतु अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है। **(परिशिष्ट–01)**
इस संबंध में अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद् बनाम भारती दर्शन विश्वविद्यालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित अपील संख्या–2056/1999 के संबंध में निर्गत आदेश दिनांक 24.09.2021 **(परिशिष्ट–02)** के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को अपने निजी परिसर में तकनीकी पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु ए.आई.सी.टी.ई.,नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त किए जाने की अनिवार्यता नहीं है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालयों यथा लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ आदि द्वारा अपने परिसर में तकनीकी पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

AnyScanner

		अतः उपरोक्त के दृष्टिगत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में आगामी शैक्षणिक सत्र 2025–26 में बी0टेक पाठ्यक्रम (ईई, ईसी, सीएसई, सीई एवं एमई) के संचालन हेतु अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद् नई दिल्ली से मान्यता विस्तारीकरण कराने के संबंध में मा0 विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रार्थित है। **<u>Decision-</u> After due consideration on the aforesaid proposal, it was resolved that the programmes as mentioned above shall be conducted in conformity with the rules adhered by the other Universities mentioned above.** **<u>निर्णयः–</u> मा0 विद्या परिषद् की आहूत बैठक में सदस्यों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचार–विमर्श करते हुए यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त वर्णित कार्यक्रमों को उपरोक्तानुसार वर्णित अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा लागू किये जा रहे नियमो के अनुरूप संचालित किया जाएगा।**
15/34		**रसायन विज्ञान विभाग की बोर्ड ऑफ स्टडीज के कार्यवृत्त पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।**
		कृपया अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में विज्ञान संकाय के अन्तर्गत रसायन विज्ञान विभाग हेतु आहूत बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक दिनांक 09.11.2024 को आयोजित की गयी, जिसमें नई शिक्षा नीति–2020 के अनुसार बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्यों द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः–

MINUTES OF THE BOARD OF STUDIES MEETING HELD ON 9th NOVEMBER, 2024 DEPARTMENT OF CHEMISTRY

Minutes

The Board of Studies (BOS) Meeting of the Department of Chemistry was held through online mode on dated 9th November, 2024.

The following members of BOS were present:

Internal Members:

1. Dr. Pushpendra Singh – Convenor

External Members:

1. Prof. V.K. Sharma – Expert

Industrial Expert:

1. Dr. Sudheer Rai - Expert

Agenda No. 1: Discussion and approval of the Study Evaluation Scheme/Syllabus for B.Sc. Course work.

The Study Evaluation Scheme/Syllabus for B.Sc. Chemistry Course work in Department of Chemistry was discussed in Details and passed it for placing in academic council for approval.

Agenda No. 2: Any other discussions/suggestions related to academic development of the University.

Prof. V.K. Sharma Suggested to give emphasis on those skill enhancement course and value added courses , which have good acceptance in industry. Vocational paper - Food Chemistry and vocational minor paper - Introduction of Household Chemicals, Soaps and Detergents was moderated.

Note:- Subject to the modification suggested by the Academic council.

At the end all, the proposed agenda had been concluded with vote of thanks by the convenor.

Dr. Pushpendra Singh
Convenor

Prof. C.K. Dixit
HoD, Chemistry

Dr. Sanjeev Gupta
NEP Expert

Prof. V.K. Sharma
Expert

On-line
Dr. Sudheer Rai
Industrial Expert

उपरोक्तानुसार रसायन विज्ञान विभाग की आहूत बोर्ड ऑफ स्टडीज के उक्त कार्यवृत्त पर मा0 विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रार्थित है।

<u>Decision-</u> After due consideration, the syllabus and programme structure of undergraduate programme passed by the Board of Studies of Chemistry Department was approved with condition that the programme structure of the undergraduate programme shall be in accordance with the provisions of Undergraduate (UG) Programme Regulation 2024 of this University.

<u>निर्णयः–</u> उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचार–विमर्श करते हुए रसायन विज्ञान विभाग के अध्ययन मण्डल द्वारा पारित स्नातक कार्यक्रम के पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम संरचना पर अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि अध्ययन मण्डल द्वारा पारित स्नातक कार्यक्रम की कार्यक्रम संरचना विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रम रेगुलेशन–2024 के प्रावधानों के अधीन होगी।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

AnyScanner

16/34	**सहायक आचार्य प्रोन्नति के लिए स्क्रीनिंग–कम–सहमूल्यांकन समिति के गठन के सम्बन्ध में।**
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम–2010 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम–2018 तथा समय–समय पर किये गये संशोधनों के आलोक में कैरियर एडवांसमेण्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निम्नानुसार स्क्रीनिंग–कम–इवैल्यूएशन समिति का गठन मा0 कार्य परिषद की 30वीं बैठक दिनांक 11 नवम्बर 2020 के एजेण्डा बिन्दु सं0 12/30 पर रिपोर्ट किया गया है **स्क्रीनिंग–कम–इवैल्यूएशन समिति** 1. विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति – अध्यक्ष 2. निदेशक आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चियन प्रकोष्ठ – संयोजक 3. सम्बन्धित विभाग का अधिष्ठाता – सदस्य 4. सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष – सदस्य 5. कुलपति महोदय द्वारा नामित एक वाह्य विषय विशेषज्ञ – सदस्य उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम–2018 में बिन्दु सं0–X कैरियर एडवांसमेण्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में कार्यरत् सहायक आचार्यो की प्रोन्नति के सम्बन्ध में स्क्रीनिंग–कम–इवैल्यूएशन समिति के गठन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था वर्णित है :– **The "Screening-cum-Evaluation Committee" for CAS promotion of Assistant Professors/equivalent cadres in Librarians/Physical Education and Sports from one level to the other higher level shall consist of:** **A. For University teachers:** i) The Vice-Chancellor or his/her nominee shall be the Chairperson of the Committee; ii) The Dean of the Faculty concerned; iii) The Head of the Department /Chairperson of the School; and iv) One subject expert in the subject concerned nominated by the Vice-Chancellor from the University panel of experts. **Note: The quorum for these committees in all categories shall be three which will include one subject expert/university nominee.** तद्नुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन–2018 में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप विश्वविद्यालय में कार्यरत् सहायक आचार्यगण की प्रोन्नति हेतु स्क्रीनिंग–कम–सहमूल्यांकन समिति का गठन किये जाने पर मा0 विद्या परिषद का अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रार्थित है। **<u>Decision-</u> After due consideration on the aforesaid proposal, the desired approval was granted.** **<u>निर्णयः–</u> मा0 विद्या परिषद् की आहूत बैठक में सदस्यों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचार–विमर्श करते हुए यंथावाछित अनुमोदन प्रदान किया गया।**
17/34	**विश्वविद्यालय में ओ0एस0डी0, शैक्षणिक के सम्बन्ध में।**
	विश्वविद्यालय के कार्यालय–ज्ञाप पत्रांक–1211/फा0स0 419/अधि/डा0श0मि0रा0 पु0वि0वि/ 2024–25 दिनांक 30 सितम्बर, 2024 द्वारा डॉ0 अशोक मिश्र, सहायक आचार्य भौतिक विज्ञान को अधिष्ठाता, शैक्षणिक के कार्यों में सहयोग प्रदान करने एवं विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों में गतिशीलता प्रदान करने हेतु विशेष कार्याधिकारी, शैक्षणिक (Officer on Special Duty, Academics) नामित किया जा चुका है। उपरोक्त के संदर्भ में मा0 विद्या परिषद् की अभिपुष्टि प्रार्थित है। **<u>Decision-</u> After due consideration, the nomination of Dr. Ashok Kumar Mishra, Assistant Professor, Physics as Officer on Special Duty (Academics) was ratified.** **<u>निर्णयः–</u> सम्यक विचारोपरान्त डॉ0 अशोक कुमार मिश्र, सहायक आचार्य, भौतिक विज्ञान को विशेष कार्याधिकारी (शैक्षणिक) नागित किए जाने की अभिपुष्टि की गयी।**

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

AnyScanner

18/34	विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2025–26 में प्रवेश निदेशक नामित किये जाने के सम्बन्ध में।
	विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2025–26 में प्रवेश हेतु इच्छुक नवीन अभ्यर्थियों के प्रवेश के दृष्टिगत उनसे सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया के सुचारू एवं पारदर्शिता बनाये रखने हेतु शैक्षिक सत्र 2025–26 में प्रवेश सम्बन्धी दिशानिर्देश एवं गोपनीयता बनाये रखने के उद्देश्य से प्रवेश निदेशक की आवश्यकता होती है, जिस हेतु शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए प्रवेश निदेशक नामित किया जाना निवेदित है कृपया मा० विद्या परिषद् निर्णय प्रदान करना चाहें। **Decision-** The Honorable Vice Chancellor was authorized to nominate Director, Admission for the session 2025-26. निर्णयः– सत्र 2025–26 के लिए प्रवेश निदेशक नामित किये जाने हेतु माननीय कुलपति को अधिकृत किया गया।
19/34	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।
अन्य बिन्दु–1	Ph.D. Admission सत्र 2023–24 हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदनकर्ताओं को प्रवेश के सम्बन्ध में पीएच०डी० पूर्ण करने हेतु Ph.D. Ordinance 2018 and /or UGC Regulation 2022 (Grazzette Notification dated 7 Nov. 2022) के अनुसार लागू होने वाले नियमों के सम्बन्ध में।
	Decision- After due consideration, the Academic Council accorded its approval to govern the Ph.D. Research Scholars admitted during session 2023-24 under the rules applicable as per UGC Ph.D. Regulation 2022. निर्णयः– मा० विद्या परिषद् की आहूत बैठक में सदस्यों द्वारा सम्यक विचार–विमर्श करते हुए UGC Ph.D. Regulation 2022 के अनुसार लागू होने वाले नियमों के अधीन सत्र 2023–24 के शोधार्थियों को पीएच०डी० पूर्ण करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
अन्य बिन्दु–2	मिड सेमेस्टर परीक्षा (आन्तरिक मूल्यांकन) में स्क्राइब उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
	Decision- After due consideration, it was resolved that scribe shall be provided to Visually Impaired candidates in mid semester examination (internal assessment) and they shall be paid remuneration as per the rules of the University after the approval of Finance Committee and Executive Council. निर्णयः– सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मिड सेमेस्टर परीक्षा (आन्तरिक मूल्यांकन) में दृष्टिबाधित छात्र को स्क्राइब उपलब्ध कराया जायेगा तथा स्क्राइब को विश्वविद्यालय के नियमानुसार पारिश्रमिक का भुगतान वित्त समिति तथा कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।
अन्य बिन्दु–3	आन्तरिक/सतत मूल्यांकन (25 अंक) के अवयव निर्धरण के सम्बन्ध में।
	Decision- After due consideration, it was resolved that the internal/contionous assisment (25 marks) shall be based on the following components: Class Test – 15 Marks Assignment – 05 Marks Presentation – 05 Marks निर्णयः– सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि आन्तरिक/सतत मूल्यांकन (25 अंक) निम्नलिखित अवयवों पर आधारित होगाः क्लास टेस्ट – 15 अंक असाइनमेन्ट – 05 अंक प्रेजेन्टेशन – 05 अंक
किसी अन्य बिन्दु के अभाव में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।	

*****

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

AnyScanner